भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4175

उत्तर देने की तारीखः 22.03.2021

शिक्षा योजनाओं के लिए धनराशि

†**4175. श्री नलीन कुमार कटीलः**

श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चल रही शिक्षा योजनाओं की कुल संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षो के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए सरकार की विभिन्न ऐसी योजनाओं के संबंध में वर्ष-वार तथा योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित/व्यय की गई है;

(ख) सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को कुल कितनी धनराशि अभी जारी की जानी है/उसे कितनी धनराशि देय है और कर्नाटक राज्य द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य को यह धनराशि जारी करने के संबंध में कोई समय-सीमा तय की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार को कर्नाटक के विभिन्न भागों में विद्यालयों के निर्माण में अनियमित्ताओं के संबंध में कोई सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा शिक्षाक्षेत्र में शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के सहयोग से समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन, पढना लिखना अभियान, नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (एनएमएमएसएस) योजना, मदरसों/अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को शिक्षा प्रदान करने की और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति जैसी कई योजनाएं लागू की जा रही हैं।

नई एकीकृत योजना **समग्र शिक्षा** पूर्व-विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में स्कूली **शिक्षा की** परिकल्पना करती है और इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है, जिसे देशभर के बच्चों के बेहतर पोषण के लिए तैयार किया है। 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई साक्षरता योजना **'पढना लिखना अभियान'** एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होने जा रही है। मई, 2008 में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम **' नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम'** शुरू की गई थी। जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में ड्रॉप आउट से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है और अभी तक समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन, पढना लिखना अभियान और नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान आवंटित/खर्च की गई, जारी की गई और अभी प्रदान की जाने वाली राशि का विवरण इस प्रकार है:-

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजनाएं	2018-19		2019-20		2020-21	
		निधि का आवंटन	जारी की गई निधि	निधि का आवंटन	जारी की गई निधि	निधि का आवंटन	जारी की गई निधि
1	समग्र शिक्षा	62784.00	62784.00	77908.00	73032.69	70761.11	61007.77
2	मध्याह्न भोजन योजना	44500.34	44500.34	54015.07	54015.07	56902.02	55801.56
3	पढना लिखना अभियान	-	-	-	-	741.00	444.60
4	राष्ट्रीय साधन- सह - मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)	-	2599.56	-	2951.64	-	197.88

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग **मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए** एक व्यापक **योजना (एसपीईएमएम)** लागू कर रहा है, जिसमें 2 योजनाएं, नामतः **मदरसा** में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना **(**एसपीक्यूईएम**)** और अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढाँचे का विकास (आईडीएमआई) हैं। एसपीईएमएम योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार को कोई राशि जारी नहीं की गई है। हालाँकि, आईडीएमआई

योजना के तहत, 264.79 लाख रू. राशि की परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित की गई है। अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण, उक्त राशि जारी नहीं की गई है।

भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता की केंद्र प्रायोजित योजना 2019-20 में इस विभाग द्वारा शुरू की गई थी और वर्तमान में यह 31.3.2021 तक चल रही है। इस विभाग ने एएलटी योजना के तहत 170 उर्दू भाषा शिक्षकों को मानदेय प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालाँकि, राज्य सरकार ने इस विभाग की स्वीकृति के संबंध में कोई वास्तविक भर्ती नहीं की है, इसलिए अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है ।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली निधि योजना के मानदंडों के अनुसार भौतिक और वित्तीय प्रगति, लेखा परीक्षित लेखों की प्राप्ति और अन्य शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करती है। एनएमएमएसएस के तहत, छात्रों को छात्रवृत्ति सीधे उनके खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा वितरित की जाती है।

(घ) शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। हालांकि, मंत्रालय को स्कूलों के निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में छिटपुट सुझाव/शिकायत प्राप्त होती है, जो उनके मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य को भेज दी जाती है।

******